वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 08.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, अमृत प्रसारण,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 08.04.2026

वीडीए की ऑनलाइन एनओसी सेवा शुरू

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने मंगलवार को ऑनलाइन एनओसी सिस्टम की शुरुआत की। कहा कि अब घर बैठे एनओसी मिलेगी। उन्होंने उपयोग की प्रक्रिया दिखाई और उसे समझाया। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि नागरिक वीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.vdavns.com और noc.vdavns.com पर जाकर सरल प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भविष्य में भी जनहितकारी सुविधाएं दी जाएंगी। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 08.04.2026

वीडीए को मिला कर मुक्ति का प्रमाणपत्र

वाराणसी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वीडीए को आयकर अधिनियम की धारा 10 (46ए) के तहत पूर्ण कर मुक्ति का प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। मंगलवार को इस संबंध में प्रमाण पत्र प्राधिकरण को मिला। प्राधिकरण के चार्टर्ड अकाउंटेंट डीके मित्तल ने वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा को सौंपा। कहा कि भारत सरकार के राजपत्र संख्या 31/2026 25 मार्च के माध्यम से वीडीए को आयकर से पूर्ण छूट दी गई है। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 08.04.2026

वीडीए को बेची गई संपत्ति पर नहीं देना होगा कोई कर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को आयकर अधिनियम की धारा 10(46A) के अंतर्गत पूर्ण कर मुक्त करने के साथ प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण को संपत्ति बेचने पर कोई कर देय नहीं होगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि अभी तक वीडीए फ्लैट, मकान, जमीन, दुकान समेत अन्य संपत्ति बेचने पर कर देना पड़ता था। नए आदेश के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कर मुक्त कर दिया है। इस आदेश से वीडीए की बेची गई संपत्ति पर दिए गए कर का करीब 20 करोड़ रुपये वापस मिलेगा। विकास प्राधिकरण के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएडीके मित्तल ने जारी प्रमाण पत्र वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा को सौंपा।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा को प्रमाण पत्र सौंपते (बाएं) वीडीए के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएडीके मित्तल

अमृत प्रसारण–दि0 08.04.2026

वीडीए की ऑनलाइन एनओसी सेवा का शुभारम्भ,अब घर बैठे मिलेगी एनओसी सुविधा - श्री पुर्ण बोरा

अमृत प्रसारण

वाराणसी :- वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा द्वारा मंगलवार को उपाध्यक्ष कार्यालय वाराणसी विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन एनओसी प्रणाली का औपचारिक शुभारम्भ किया गया | इस अवसर पर सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ.गुडाकेश शर्मा तथा नगर नियोजक प्रभात कुमार उपस्थित रहे | कार्यक्रम के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को नई प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा इसके उपयोग की प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया गया | इस नवीन डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिकों को अब विभिन्न प्रकार की एनओसी प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी | ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल,पारदर्शी,समयबद्ध एवं सुगम हो जाएगी जिससे नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत होगी |इस ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत नागरिक धारा 80 एनओसी (सेक्शन 80), लैंड यूज एनओसी (लैंड यूज़),बार एनओसी,सराय एनओसी,पेट्रोल पम्प एनओसी तथा पटाखा लाइसेंस एनओसी के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे | पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा आवेदन की प्रगति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे| साथ ही प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की सूचना डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी बनेगी |उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा अनावश्यक विलम्ब की समस्या में कमी आएगी | यह पहल शासन की ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल इंडिया की भावना के अनुरूप नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है |नागरिक वाराणसी विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.vdavns.com तथा noc.vdavns.com पर जाकर सरल प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवेदक आसानी से अपनी एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे |वाराणसी विकास प्राधिकरण नागरिकों को आधुनिक,पारदर्शी एवं सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार की जनहित-कारी डिजिटल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी ||